मध्यप्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय भोपाल

एफ 18–2/2010/60

दिनांक 7.1.2011

अधिसूचना

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–3–2009–तेरह दिनांक 17 फरवरी, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 3 में,–

(एक) पार्श्व शीर्षक में, अक्षर "आई एस आई/बी ई ई" के स्थान पर, अक्षर तथा शब्द "आई एस आई और बी ई ई" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपखण्ड (1) में, अक्षर "आई एस आई/बी ई ई" के स्थान पर, अक्षर तथा शब्द "आई एस आई और बी ई ई" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपखण्ड (2) में, अक्षर "बी ई ई" के स्थान पर अक्षर तथा शब्द "आई एस आई और बी ई ई" स्थापित किए जाएं;

(चार) उपखण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"टिप्पण: खण्ड 3 के उपबंध केवल ऐसे उपस्करों को लागू होंगे जो बी ई ई द्वारा स्टार रेटेड श्रेणी के अधीन प्रमाणित किए गए हों।".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राजेश चौरसिया)
उप सचिव
म.प्र. शासन,
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग